BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 16 जनवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी सुनील कुमार व तेजा को आजीवन कारावास व क्रमशः 21,000/- रुपये व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. सुनील कुमार पुत्र साहब सिंह व 2. तेजा पुत्र राजकुमार निवासीगण ममौता थाना सासनी जनपद हाथरस द्वारा वर्ष – 2017 में वादी वीरपाल सिंह पुत्र पोखपाल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना लोधा जनपद अलीगढ़ की पुत्री की गला काटकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 29.07.2017 को थाना डिबाई पर मुअसं - 259/2017 धारा 302, 34 भादवि व बरामदगी के संबंध में दिनांक 17.08.2017 को मुअसं- 293/2017 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया तथा दोनो मुकदमों में आरोप पत्र क्रमशः दिनांक 13.10.2017 व दिनांक 29.08.2017 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 16.01.2025 को न्यायाधीश श्री विनित चौधरी (मा0 न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. सुनील कुमार व 2. तेजा उपरोक्त को आजीवन कारावास व क्रमशः 21,000/- रुपये व 20,000/- रुपये के के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री नितिन कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर